



**GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)**  
**MINISTRY OF RAILWAYS (रेलमंत्रालय)**  
**RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)**

\*\*\*\*\*



No. 2025/TG-I/01/Misc/01

New Delhi, dated .02.2025

**Principal Chief Operations Mangers &  
Principal Chief Commercial Mangers,  
All Zonal Railways.  
CMD Konkan Railway.**

(Commercial Circular No.: 02 of 2025)

**Sub: Train demand module in PRIMES and ICMS.**

As per extant practice, to fulfill the extra rush (passenger) demand on different occasions (e.g. Festivals, summer vacation, Holi, Deepawali etc.), Zonal railways submit their special train requirements to the Railway Board for approval. Subsequently after approval, the zonal railway concerned, notifies the train services for Public and Railways.

2. In order to make the exercise more data driven with cross zone visibility of planning, a "Train Demand Utility/Module" has been developed by CRIS - in PRIMES and ICMS applications respectively for Commercial and Operating users. The brief features of these modules are as under:

- This utility helps to estimate the number of train trips needed for specific **Origin-Destination (O-D)** pairs.
- Demand could be assessed using **historical date ranges** (for a reference period) and for specific **O-D pairs** from options such as **Stations, Clusters, Zones, States, or Stations within a specific KM range**.
- Unmet demand of live trains is also taken into consideration.
- Real time availability of the of coaches vis a vis lie over rakes and spare coaches is available to process the demand.
- Proposals under approval in other zonal railways are also visible for realistic assessment of demand.
- Online processing for approval of demand from Commercial to Operating department and from zonal railways. The proposal would be sent to Railway Board through the utility itself and the approval would also be communicated through the same.
- MIS reports are available to monitor the current demand status in **PRIMES** and **ICMS**.

3. The user manual for the utility is provided vide Annexure A & B.

I/3118022/2025

4. All special train planning henceforth should be done through the Train demand module including for the upcoming Holi and Summer specials.

5. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly for strict compliance.

Signed by

Vinul Singh

(Vinul Singh)

Director/Passenger Marketing

Railway Board

Signed by

Sanjay Ramesh Neelam

Director/Coaching

Date: 19-02-2025 17:50:56

Copy to: - MD CRIS, Chanakyapuri, New Delhi 110021

---

Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001

भारत सरकार/Government of India  
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways  
रेलवे बोर्ड/Railway Board

\*\*\*\*\*

सं.2025/टीजी-1/01/मिस./01

नई दिल्ली, दिनांक .02.2025

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं  
प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें।  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे।

(2025 का वाणिज्य परिपत्र सं. : 02)

विषय : पीआरआईएमईएस और आईसीएमएस में ट्रेन डिमांड मॉड्यूल।

प्रचलित पद्धति के अनुसार, भिन्न-भिन्न अवसरों (जैसे त्यौहारों, ग्रीष्मकालीन अवकाश, होली, दीवाली आदि) पर अतिरिक्त भीड़ (यात्री) की मांग को पूरा करने के लिए, क्षेत्रीय रेलें अपनी विशेष गाड़ी संबंधी आवश्यकताओं को रेलवे बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती हैं। तत्पश्चात अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे जनता और रेलों के लिए संबंधित गाड़ी सेवाओं को अधिसूचित करती है।

2. योजना की क्रॉस ज़ोन विज़िबिलिटी के साथ इस अभ्यास को और अधिक डेटा संचालित बनाने के उद्देश्य से, क्रिस द्वारा वाणिज्यिक और परिचालन उपयोगकर्ताओं के लिए क्रमशः पीआरआईएमईएस और आईसीएमएस अनुप्रयोगों में एक "ट्रेन डिमांड यूटिलिटी/मॉड्यूल" विकसित किया गया है। इन मॉड्यूलों की संक्षिप्त विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह उपयोगिता विशिष्ट आरंभिक-गंतव्य (ओ-डी) जोड़ियों के लिए आवश्यक गाड़ी फेरों की संख्या का अनुमान लगाने में मदद करती है।
- महत्वपूर्ण तारीख क्रमों (संदर्भ अवधि के लिए) और ओ-डी जोड़ियों के लिए स्टेशनों, क्लस्टरों, जोनों, राज्यों या विशिष्ट किलोमीटर सीमा के भीतर स्टेशनों जैसे विकल्पों का उपयोग करते हुए मांग का आकलन किया जा सकता है।
- चालू गाड़ियों की असंतुष्ट मांग पर भी विचार किया जाता है।

- सवारी डिब्बों की वास्तविक उपलब्धता, पड़े हुए रैक तथा अतिरिक्त सवारी डिब्बे मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध हैं।
  - अन्य क्षेत्रीय रेलों में अनुमोदनाधीन प्रस्ताव भी मांग का वास्तविक आकलन करने के लिए दृश्य होते हैं।
  - वाणिज्य से परिचालन विभाग एवं क्षेत्रीय रेलों से मांग के अनुमोदन हेतु ऑनलाइन प्रक्रमण (Processing) रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव के माध्यम से ही भेजा जाएगा और अनुमोदन भी उसी के माध्यम से दिया जाएगा।
  - पीआरआईएमईएस और आईसीएमएस में मांग की वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध हैं।
3. उपयोगिता के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका अनुलग्नक क और ख के तहत उपलब्ध है।
  4. अब से, आगामी होली और ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों सहित सभी विशेष गाड़ी योजना ट्रेन डिमांड मॉड्यूल के माध्यम से बनाई जानी चाहिए।
  5. तदनुसार, कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(विपुल सिंघल)  
निदेशक, यात्री विपणन  
रेलवे बोर्ड

(संजय रूपसिंह नीलम)  
निदेशक/कोचिंग  
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:- प्रबंध निदेशक क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

रेल भवन, रायसीना रोड़, नई दिल्ली-110001